



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241479
CG-DL-E-29122022-241479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5830]
No. 5830]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6073(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 51(अ) दि. 05 जनवरी 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH753F के कि.मी. 0 से कि.मी.20.9 (सब;-डिविशनल ऑफिस औरंगाबाद नियर दिल्ली गेट फाजलपुरा औरंगाबाद) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन: तारीख ०२ मार्च २०२२ को "महाराष्ट्र टाइम्स" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" तारीख ०२/०३/२०२२ दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH753F के कि.मी. 0 से कि.मी. 20.9 (सब-डिविशनल ऑफिस औरंगाबाद नियर दिल्ली गेट फाजलपुरा औरंगाबाद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: औरंगाबाद				
	गांव का नाम: हर्सुल				
1	Plot No.548	निजी	असिंचित	0.00251	हीराबाई भ्र. हरिचंद, शिवलाल हरिचंद, कडुबा हरिचंद, जगन्नाथ हरिचंद (प्लॉट नो . ५४८)
2	Plot No.9	निजी	असिंचित	0.00469	श्रीमती सुमन भ्र. सुभाषलाल सुरपुरे, सचिन सुभाष सुरपुरिया (प्लॉट न . ०९)
			कुल	0.0072	

[फा. सं. RW/NH/12014/175/2016-MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2022

S.O. 6073(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 51(A) Date 05th January 2022 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH753F on the stretch of land from Km 0 to Km 20.9 (sub-divisional office aurangabad, near delhi gate fazalpur aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in Maharashtra Times "Dated 02/03/2022 and "Times of India" Dated 02/03/2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH753F in the stretch of land from Km. 0 to Km. 20.9 (sub divisional office aurangabad, near delhi gate fazalpura aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA District: AURANGABAD					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Aurangabad				
	Village: Harsul				
1	Plot No.548	Private	Non-Irrigated	0.00251	Hirabai Bhr. Harichand, Shivrul Harichand, Kaduba Harichand. Jagannath Harichand plot no 548
2	Plot No.9	Private	Non-irrigated	0.00469	Smt.Suman Bhr. Subhashlal Surpure, Sachin Subhash Surpuriya plot No.09
			TOTAL	0.0072	

[F. No. RW/NH/12014/175/2016-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Director